न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 13/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री पदमाराम भील हाल नायब तहसीलदार जालोर, तत्का0 उप पंजीयक जालोर		जिला कलेक्टर जालोर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जालोर क्रमांकः वि.का./स्था./2021/4115 दिनांक 20.06.2022 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही के तहत दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 14.12.2022

1. यह अपील श्री पदमाराम भील, हाल नायब तहसीलदार जालोर, तत्का0 उप पंजीयक जालोर, जिला जालोर ने जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांक वि.का./स्था./2021/4115 दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट तत्कालीन कार्यवाहक तहसीलदार जालोर एवं उप पंजीयक जालोर के पद पर कार्यरत रहते हुए ग्राम पंचायत माण्डवला के खसरा नम्बर 437 में से आवासीय प्लॉट जिसका रकबा 19121.5 वर्गफीट का पंजीयन दिनांक 22.10.2021 को खरीददारा श्रीमती मरगो देवी पत्नि हंजाराम चौधरी के नाम निष्पादित किया गया। उक्त खसरा नम्बर 437 राजस्व ग्राम माण्डवला के राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के कारण से उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वहितार्थ परिलक्षित होना मानते हुए विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.22

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

के द्वारा अपीलाण्ट का प्रत्युत्तर संतोषप्रद नही होना मानते हुए, इनकी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

3. जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः वि0का0/स्थापन/2022/722 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री पदमाराम हाल कार्यवाहक तहसीलदार एवं उप पंजीयक, जालोर के पद पर कार्यरत्त रहते हुए ग्राम पंचायत माण्डवला के खसरा नम्बर 437 में से आवासीय प्लॉट जिसका रकबा 19121.5 वर्गफीट का पंजीयन आप द्वारा दिनांक 22.10.2021 को खरीददारा श्रीमती मरगो देवी धर्मपत्नि हंजाराम जाति चौधरी, निवासी चौधरियों का बास, माण्डवला के नाम से निष्पादित किया गया। उक्त खसरा नम्बर 437 राजस्व ग्राम माण्डवला के राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। आप द्वारा दस्तावेज पंजीयन करने के पूर्व मौका निरीक्षण खसरा नम्बर 1098 क्षेत्रफल 19125 वर्गफीट ग्राम पंचायत माण्डवला के खाते में दर्ज है, जिसका मौका निरीक्षण किया गया एवं दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 1 के पीछे उक्त प्लॉट का फोटो चस्पा किया गया है। आप द्वारा खसरा संख्या 1098 क्षेत्रफल 19125 वर्गफीट गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत, माण्डवला के नाम दर्ज भूमि का मौका निरीक्षण कर आप द्वारा खसरा संख्या 437 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई। जिससे संबंधितों द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करने की संभावना बनी है। आपका उक्त कृत्य पंजीयन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। एक लोकसेवक होने के नाते आपका दायित्व है कि अपनी राजकीय कार्य पूर्ण निष्ठा से करते, परन्तु आपका उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया आपको प्रदत्त अधिकारों का दुरूपयोग कर अनुचित तरीक से किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित किया जाना प्रतीत होता है। आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वहितार्थ परिलक्षित होती है। जिसके लिए आप उत्तरदायी हो।

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 06.04.22 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि :–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

(1. उक्त बेचान सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत ने बुक संख्या 10 मिसल सं0 31/2005 पट्टा कम संख्या 31 दायर दिनांक 21.10.2005 को श्री गणपत राज पुत्र हस्तीमल जैन के पक्ष में आबादी क्षेत्र घांचियों व कुबारो के वास, खसरा नम्बर 437 में आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत की सहमति से संबंधितों का कब्जा किया हुआ है एवं इसी पट्टे के आधार पर खरीददारा श्रीमती मरगो देवी पत्नि हंजाराम एवं बेचानकर्ता गणपतराज पुत्र हस्तीमल के मध्य निष्पादित दस्तावेज रकबा 19121.5 वर्गफीट का पंजीयन दिनांक 23.10.2021 को पंजीयन कमांक 5643 पर किया गया है।

(2. उक्त बेचान सम्पति के मौका निरीक्षण राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 57 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सम्पति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का मौका निरीक्षण किया गया था।

(3. पक्षकारों द्वारा पेश किये गये दस्तावेज ग्राम पंचायत के पट्टे में खसरा नम्बर 437 अंकित था जिसका मौका मुआयना किया गया तो दस्तावेज एवं मौका स्थिति में समानता थी।

(4. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत पाली के पत्र कमांकःउमनि/सतर्कता(105)/शिकायत/2019/8586 दिनांक 03.12.2019 के अनुसार –

"पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट पिटीसन संख्या 3354/1999 बसंत नाहटा बनाम राज्य सरकार में सम्पत्ति हस्तांतरण की धारा 22(ए) (पंजियन अधि. 1908) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस संबंध में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर की मार्गदर्षिता में, कि जहां उप पंजियक को, बेचान की जाने वाली सम्पत्ति के सरकारी अथवा स्थानीय निकाय की सम्पत्ति होने का अंदेशा हो वहां, वह निष्पादक से इस बात का शपथ पत्र ले सकेगा कि "उक्त भूमि मेरे मालिकाना हक की है किसी स्थानीय निकाय वगैराह की नही है एवं उक्त भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा उप पंजियक को पक्षकार बनाकर स्थगन आदेश जारी नही किया गया है, के आधार पर पंजीयन किये जाने का स्पष्ट निर्देश है।"

के अनुसार उक्त दस्तावेज का पंजीयन नियमों की पालना करते हुए पंजीयन किया गया है। अतः उक्त आरोप पत्र को फाईल करवाने का अनुरोध किया गया।

5. तदउपरांत विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा प्रकरण मे आरोपी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 18.5.22 को अवसर देते हुए सूचना पत्र कमांक 2814–15 दिनांक 11.5.22 जारी किया गया एवं उक्त तिथी को सुनवाई नही हो सकने के कारण सूचना पत्र कमांक 3165 दिनांक 23.5.22 के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15.6.22 नियत की गई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा दिनांक 15.6.22 को व्यक्तिश पुनः प्रस्तुत लिखित जवाब में यह निवेदन किया गया कि –

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

''ग्राम पंचायत माण्डवला के बुक संख्या 10 मिसल संख्या 31/2005 पट्टा कम संख्या 31 दायर दिनांक 21.10.2005 को श्री गणपतराज पुत्र हस्तीमल जैन के पक्ष में आबादी क्षेत्र खसरा संख्या 437 (पुराना) में आवासीय भूमि आवंटन की गई थी। प्रकरण में आरोप पत्र के जवाब का विवरण निम्नानुसार निवेदित किया गया'' :–

(1. यह कि ग्राम पंचायत माण्डवला द्वारा पट्टा जारी करते समय खसरा नम्बर 437 (पुराना) आबादी भूमि लिखा जाना था, जो ग्राम पंचायत द्वारा नही लिखा गया।

(2. यह कि श्री गणपतराज पुत्र हस्तीमल जैन के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 570 भरा गया है। जिसमें खसरा नम्बर 437 है, जो सही है। भू–प्रबंध होने से 1995 के बाद खसरा नम्बर परिवर्तित हुए है।

(3. यह कि प्रार्थी का मूल पदस्थापन नायब तहसीलदार जालोर के पद पर है एवं तहसीलदार जालोर एवं उप पंजीयन जालोर का भी अतिरिक्त चार्ज होने से उस दरमियान प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 लगातार होने से दस्तावेज की पूर्ण जांच करने हेतु समय नही मिलने के कारण जांच में आंशिक त्रुटी रही है। इसमें प्रार्थी की कोई दुर्भावना नही रही है।

अतः सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप करवाने की अनुकम्पा करावे।

6. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि सरपंच, ग्राम पंचायत माण्डवला ने वर्ष 2005 में गणपतराज पुत्र हस्तीमल जैन के नाम एक पट्टा बनवाया गया था, जिसमें गैरमुमकिन रास्ते की भूमि ख0नं0 437 दर्ज है। उक्त पट्टे को वर्तमान सरपंच सोहनलाल गर्ग द्वारा दिनांक 21.9.21 को पुनः प्रमाणित किया गया एवं पट्टाधारक द्वारा पट्टे को उप पंजियक जालोर में दिनांक 22.10.21 को पंजीयन करवाया गया एवं उसी दिन दिनांक 22.10.21 को मरगो देवी धर्मपत्नि हंजाराम चौधरी के नाम बेचान रजिस्ट्री करवायी गई। ख0नं0 1098 जो कि रेकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, का दस्तावेज (पट्टा) तैयार करवाकर मौके पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। जिस पर मेरे द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 8.11.21 को उपखण्ड अधिकारी जालोर के समक्ष समस्त दस्तावेज (पट्टा, रजिस्ट्री) एवं ख0नं0 437 एवं 1098 की जमाबंदी मय नक्शा पेश कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा सम्पूर्ण प्रशासन सहित उक्त पट्टे के समस्त दस्तावेज लेकर, मौके मुआयना किया गया व मौके पर निर्माण कार्य रूकवाया गया। मौके पर वर्तमान सरपंच द्वारा उक्त पट्टा (फर्जी दस्तावेज) होना बताया गया, जिसके

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

संदर्भ में गा0पं0 द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नही करवायी गयी है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 168 का उल्लंघन है। जिसकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा करवायी जाकर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उपरोक्त समस्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे दण्डमुक्त कराने का आग्रह किया गया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विभागीय पैराकार ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

8. हमने प्रकरण में जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांकः वि.का./स्था./2022/5821–25 दिनांक 23.9.22 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाण्ट द्वारा नायब तहसीलदार जालोर के पद पर रहते हुए अन्य पदों का अतिरिक्त प्रभार वहन किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध आरोपित आरोप के संदर्भ में अपीलांट का मुख्यतः यह कथन यह रहा है, ''कि बेचान सम्पति पंजीयन के संबंध में ग्राम पंचायत माण्डवला ने बुक संख्या 10 मिसल सं0 31/2005 पट्टा कम संख्या 31 दायर दिनांक 21.10.2005 को श्री गणपतराज पुत्र हस्तीमल जैन के पक्ष में आबादी क्षेत्र घांचियो व कुबारों के वास, खसरा नम्बर 437 में आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया एवं इसी पट्टे के आधार पर खरीददारा श्रीमती मरगो देवी पत्नि हंजाराम एवं बेचानकर्ता गणपतराज पुत्र हस्तीमल के मध्य निष्पादित बेचान दस्तावेज रकबा 19121.5 वर्गफीट भूमि/भूखण्ड का पंजीयन दिनांक 22.10.2021 को पंजीयन कमांक 5614 पर किया गया। ग्राम पंचायत माण्डवला द्वारा पट्टा जारी करते समय खसरा नम्बर 437 (पुराना) आबादी भूमि नही लिखा गया, जो कि गंभीर रूप से एक प्राथमिक त्रुटी है। इसी के आधार पर तत्समय कार्य की अधिकता व प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 लगातार होने से दस्तावेज की पूर्ण जांच करने हेतु समयाभाव के कारण जांच में आंशिक त्रुटी रही है, इसमें प्रार्थी की कोई दुर्भावना नही रही है, अतः इसके लिए अंतिम तौर पर अपीलांट को ही दोषी माना जाना न्यायोचित नही है। क्योंकि प्रायः प्रारम्भिक त्रुटी की निरंतरता में किसी न किसी वजह से दृष्टिभ्रम अथवा पूर्वोत्तर कार्य के प्रति सद्विश्वास से ऐसी घटनाएं कारित होती है। जिसे विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने स्वयं अपनी टिप्पणी के बिन्दु सं0 9 में अपने विवेचन के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से अभिलिखित किया है, उक्त तथ्य स्वीकारोक्त है। किंतु इसमें ग्रा0पं0 मण्डावला की गंभीर अनियमित्तता को नजरअंदाज करते हुए मात्र अपीलांट को दोषी मानते हुए सख्त अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो वास्तविकता से भिन्न है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अतः ऐसी स्थिति में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त मामले में सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावला द्वारा प्राथमिक स्तर पर की गई गंभीर त्रुटी को अपीलांट की तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए लापरवाही की श्रेणी में मानना उचित प्रतीत नही है, बल्कि क्षमता से अधिक कार्य की वजह से कभी–कभार कार्य की गुणवत्ता पर विपरित प्रभाव पडना स्वाभाविक है, जिसे जांच एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहीयों से सुधारना ही प्राथमिक दायित्व बनता है।

अतः उपरोक्त स्थिति में विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध नियम 17 सीसीए की कार्यवाही के अन्तर्गत पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाना, विधि विरूद्ध एवं आनुपातिक दृष्टि से अधिक होना प्रतीत है।

9. उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट को लिखित चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में सत्तर्क रहकर कार्य करें। साथ ही जिला कलेक्टर जालोर एवं ग्राम पंचायत माण्डवला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पट्टे में पुराने खसरा नम्बर को लेकर जो त्रुटी हुई है, उसको विधिवत प्रकिया अपनाकर संशोधन कर लेवे, ताकि पक्षकारान के विधिक अधिकारों का हनन नही हो।

निर्णय आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

14/12/2022

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर